उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध अपील वाद संख्या – 06/2003/34/2013

रसी लाल मांझी वगै0 बनाम् शंभु महतो वगै0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
28-03-2018	– आदेश – अभिलेख उपस्थापित। पुकार करने पर उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि पिछले तिथियों से लगातार उभय पक्ष अनुपस्थित चले आ रहे हैं। उक्त दायर वाद के प्रति उभय पक्ष की अरूचि एवं उदासीनता को देखते हुए अभिलेख में संलग्न कागजातों के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है। प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग में दायर विविध पुनरीक्षण वाद संख्या 111/2006 रसी लाल मांझी, रिजु मांझी एवं अन्य बनाम् शंभु महतो एवं अन्य में दिनांक 10.05.2013 को पारित आदेश के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाद में ग्राम–गोविन्दपुर, थाना–गोला, खाता सं0–67, प्लॉट सं0–809 तथा खाता सं0–01, प्लॉट सं0–784 कुल रकवा 8.89 एकड़ भूमि जो गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है जिसकी कायम जमाबंदी प्रथम दृष्टया में ही संदेहास्पद प्रतीत होता है। आवेदको का प्रश्नगत भूमि पर कोई दावा नही बनता है क्योंकि कथित हुकुमनामा की कोई वैधानिक मान्यता नही है। साथ ही उक्त प्रश्नगत भूमि की बन्दोबस्ती वाद संख्या 06/67–68 के द्वारा विपक्षीयों के पिता होनी महतो के नाम से की गई बन्दोबस्ती सदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि अंचल अधिकारी, गोला द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि 1967–68 में संबंधित मौजा में कोई हरिजन/आदिवासी/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य भूमिहीन नही थे। अतः उक्त परिपेक्ष्य में **मौजा– गोविन्दपुर, थाना–गोला, खाता सं0–67, प्लॉट सं0–809 तथा खाता सं0–01, प्लॉट सं0–784 कुल रकवा 8.89 एकड भूमि की कायम जमाबंदी को स्थगित** रखते हुए अंचल अधिकारी, गोला को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी, सृजन एवं भूमि के वर्त्तमान स्वरूप की विस्तृत बिन्दुओं की जाँच करेंगे कि किस स्थिति में गैरमजरूआ भूमि का जमाबन्दी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया गया है तथा जमाबन्दी अवैध पाये जाने की स्थिति में दोषी कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, गोला भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ को अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। इसी मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशोधित उपायुक्त, 28/3/18 रामगढ़। उपायुक्त, 28/3/18 रामगढ़।	